रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 | भारत सरकार | REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2017/आषाढ़ 16, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 155
No. 263] DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2017/ASADHA 16, 1939 [N.C.T.D. No. 155

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा)
अधिसूचना
दिल्ली, 7 जुलाई, 2017

सं. फा. 17(330)/यो./टीपीटी/2015/869.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खण्ड (41) के साथ पठित धारा 215 की उपधारा (2), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 13 जनवरी, 2005 की पूर्ववर्ती अधिसूचना के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये ''राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्'' का पुनर्गठन करते हैं, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1	परिवहन मंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2	सचिव-सह-आयुक्त, परिवहन	सदस्य
3	अध्यक्ष, दिल्ली परिवहन निगम	सदस्य
4	प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
6	सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
7	अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्	सदस्य
8	आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम	सदस्य
9	आयुक्त, उत्तर दिल्ली नगर निगम	सदस्य
10	आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम	सदस्य
11	आयुक्त (योजना) दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य
12	अभियन्ता प्रमुख, लोक निर्माण विभाग	सदस्य

13	विशेष आयुक्त पुलिस (यातायात)	सदस्य
14	परिवहन अनुसंधान एवं चोट रोकथाम कार्यक्रम (टीआरआईपीपी), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
15	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) का प्रतिनिधि	सदस्य
16	ड्राईविंग एवं यातायात अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर) का प्रतिनिधि	सदस्य
17	सड़क यातायात शिक्षा संस्थान (आईआरटीई) का प्रतिनिधि	सदस्य
18	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) का प्रतिनिधि	सदस्य
19	डॉ0 सेवा राम, प्रोफेसर, परिवहन योजना विभाग, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली	सदस्य
20	सुश्री श्रेया गाडपाली, दक्षिण एशिया निदेशक, परिवहन एवं विकास नीति संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडू	सदस्य
21	विशेष आयुक्त (सड़क सुरक्षा)	सदस्य सचिव

उपर्युक्त परिषद् निम्नलिखित कार्य करेगी, यानी :–

1. पैदल चलने वालो, गैर मोटर परिवहन तथा मोटर वाले परिवहन समेत सड़क का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न एजेंसियों में समन्वय;
2. सुनिश्चित करना कि सड़क का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं तथा पर्याप्त सुविधाएं डिजाइन, इंजीनियरिंग/पुनः इंजीनियरिंग, मरम्मत तथा अनुरक्षण स्तरों पर ही तैयार की जाएं, तथा
3. संकेतकों को समुचित एवं प्रभावशाली स्थान पर लगाया जाना।

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् एक वर्ष में कम से कम दो बैठक करेगी अथवा आवश्यकतानुसार।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

के. के. दहिया, विशेष आयुक्त (सड़क सुरक्षा)

TRANSPORT DEPARTMENT

(ROAD SAFETY)

NOTIFICATION

Delhi, the 7th July, 2017

No. F. 17(330)plg/TPT/2015/869.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 215 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988) and in supersession of the earlier notification dated the 13th January, 2005, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby re-constitutes the 'State Road Safety Council' for the National Capital Territory of Delhi, consisting of the following persons, with effect from the date of notification namely:—

1	Transport Minister, Delhi	- Chairperson
2	Secretary-Cum-Commissioner, Transport	- Member
3	Chairman, DTC	- Member
4	Principal Secretary, PWD	- Member
5	Secretary, Health & Family Welfare Department	- Member
6	Secretary, Education Department	- Member
7	Chairman, NDMC	- Member
8	Commissioner, South Delhi Municipal Corporation	- Member
9	Commissioner, North Delhi Municipal Corporation	- Member
10	Commissioner, East Delhi Municipal Corporation	- Member
11	Commissioner (Planning), DDA	- Member
12	Engineer-in-Chief, PWD	- Member

13	Special Commissioner of Police (Traffic)	- Member
14	Representative of Transportation Research and Injury Prevention Programme (TRIPP), IIT, Delhi	- Member
15	Representative of Central Road Research Institute (CRRI)	- Member
16	Representative of Institute of Driving & Traffic Research (IDTR)	- Member
17	Representative of the Institute of Road Traffic Education (IRTE)	- Member
18	Representative of Delhi Tourism and Transportation Development Corporation (DTTDC)	- Member
19	Dr. Sewa Ram, Professor, Department of Transport Planning, School of Planning and Architecture, Delhi	- Member
20	Ms. Shreya Gadepalli, South Asia Director, Institute for Transportation and Development Policy, Chennai, Tamil Nadu	- Member
21	Special Commissioner (Road Safety)	- Member

The above Council will perform the following functions, namely:—

(1) Inter-agency co-ordination to ensure safety of all road users, including the pedestrian, non-motorized and motorized transport;

(2) To ensure that safety features and proper facilities for all road users are incorporated at design, engineering/re-engineering, repair and maintenance stages; and

(3) Proper and effective installation of signages.

The State Road Safety Council shall meet at least twice in a year or as per requirement.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

K. K. DAHIYA, Spl. Commissioner (Road Safety)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.11 11:41:01 +05'30'